Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 171-2017/Ext.] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 26 सितम्बर, 2017
(3 आश्विन, 1939 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 67/ह०अ० 11/1994/धा० 209/2017, दिनांक 26 सितम्बर, 2017– हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा–परीक्षा, कराधान तथा संकर्म (संशोधन) नियम, 2017.	623–629
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग –III

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 सितम्बर, 2017

संख्या का०आ० 67/ह०अ० 11/1994/धा० 209/2017 .– हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा–परीक्षा, कराधान तथा संकर्म नियम, 1996 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का 11) की धारा 209 की उप– धारा(2) के साथ पठित उप–धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त धारा की उप–धारा(3) द्वारा यथा अपेक्षित, इसके द्वारा, ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सात दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, चण्ड़ीगढ़ द्वारा किसी व्यक्ति से नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा–परीक्षा, कराधान तथा संकर्म (संशोधन) नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा–परीक्षा, कराधान तथा संकर्म नियम, 1996 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 13 क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

> **"13क सहायता अनुदान का क्रडिट धारा 40, 98 तथा 145.–** केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, मूल्य वर्धित कर पर अधिकार या अन्य कोई राशि जो सरकार उचित समझे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद को जारी की गई निधियां, सहायता अनुदान के रूप में गठित होगी और ग्राम निधि, समिति निधि तथा जिला परिषद निधि, जैसी भी स्थिति हो, में जमा होंगी।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 134 में, उप–नियम (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(क) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, अनुसूची "क" के अनुसार बिना किसी सीमा के क्रमशः ग्राम निधि, समिति निधि, जिला परिषद् निधि से कार्य (कार्यों) के निष्पादन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान के लिये सक्षम होगी। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् कार्य का स्वयं निष्पादन कर सकती है या संविदाकार के माध्यम से करवा सकती है या पंचायती राज इंजीनियरी विंग को कार्य सौंप सकती है। सभी लेखे सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा विभागीय रजिस्टर प्ररूप LVIII और निविदा रजिस्टर LIX और LX में अनुरक्षित रखे जाएंगे'; "।

4. उक्त नियमों में, अनुसूची क तथा ख के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित अनुसूचियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"अनुसूची क

{ देखिए नियम 131(1) (क), 132 तथा 134 (2) (क)}

प्रदान के लिए सक्षम प्राधिकारी						**(क) प्रशासकीय स्वीकृति** **(ख) तकनीकी स्वीकृति**	
क्रम संख्या	**कार्य की किस्म तथा मूल्य**	**ग्राम पंचायत कार्य**		**पंचायत समिति कार्य**		**जिला परिषद् कार्य**	
1	2	3	4	5	6	7	8
		प्रशासकीय स्वीकृति द्वारा	तकनीकी स्वीकृति द्वारा	प्रशासकीय स्वीकृति द्वारा	तकनीकी स्वीकृति द्वारा	प्रशासकीय स्वीकृति द्वारा	तकनीकी स्वीकृति द्वारा
क – मूल कार्य							
1.	बिना किसी सीमा के उनकी अपनी निधि के साथ–साथ सहायता अनुदान से प्रशासकीय स्वीकृति हेतु	ग्राम पंचायत	1. उप मण्डल अधिकारी ₹10 लाख तक 2. कार्यकारी अभियन्ता ₹10 लाख से अधिक ₹25 लाख तक 3. अधीक्षक अभियन्ता ₹25 लाख से अधिक ₹50 लाख तक 4. मुख्य अभियन्ता ₹50 लाख से अधिक	पंचायत समिति	1. उप मण्डल अधिकारी ₹10 लाख तक 2. कार्यकारी अभियन्ता ₹10 लाख से अधिक ₹25 लाख तक 3. अधीक्षक अभियन्ता ₹25 लाख से अधिक ₹50 लाख तक 4. मुख्य अभियन्ता ₹50 लाख से अधिक	जिला परिषद्	1. उप मण्डल अधिकारी ₹10 लाख तक 2. कार्यकारी अभियन्ता ₹10 लाख से अधिक ₹25 लाख तक 3. अधीक्षक अभियन्ता ₹25 लाख से अधिक ₹50 लाख तक 4. मुख्य अभियन्ता ₹50 लाख से अधिक
ख – मरम्मत तथा रख–रखाव							
1.	बिना किसी सीमा के उनकी अपनी निधि के साथ–साथ सहायता अनुदान से प्रशासकीय स्वीकृति हेतु	ग्राम पंचायत	1. उप–मण्डल अधिकारी ₹25,000/– तक 2. कार्यकारी अभियन्ता ₹25,000/– से अधिक 50,000/–तक 3. अधीक्षक अभियन्ता ₹50,000/– से अधिक ₹ एक लाख तक 4. मुख्य अभियन्ता ₹ एक लाख से अधिक	पंचायत समिति	1. 1.उप–मण्डल अधिकारी ₹25,000/– तक 2. कार्यकारी अभियन्ता ₹25,000/– से अधिक ₹50,000/– तक 3. अधीक्षक अभियन्ता ₹50,000/– से अधिक ₹ एक लाख तक 4. मुख्य अभियन्ता ₹ एक लाख से अधिक	जिला परिषद्	1. उप–मण्डल अधिकारी ₹25,000/– तक 2. कार्यकारी अभियन्ता ₹25,000/– से अधिक 50,000/–तक 3. अधीक्षक अभियन्ता ₹50,000/– से अधिक ₹ एक लाख तक 4. मुख्य अभियन्ता ₹ एक लाख से अधिक

अनुसूची ख

कुटेशन/निविदाओं का मांगना और स्वीकार करना

{ देखिए नियम 134 (1) (ख) और 135 (1) }

क्रम संख्या	मूल कार्य/मरम्मत कार्य की लागत	निविदा/कुटेशन मांगने हेतु नोटिस तैयार करने वाला प्राधिकारी	निविदा/कुटेशन मांगने हेतु नोटिस स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी	निविदा/कुटेशन मांगने वाला प्राधिकारी	निविदा/कुटेशन स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी	स्वीकार्य की शर्तें, यदि कोई हो	कार्य आदेश/इकरारनामा निष्पादित करने वाला प्राधिकारी	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	₹20 लाख तक (₹25000/– तक मरम्मत कार्य के लिए)	कनिष्ठ अभियन्ता	उप–मण्डल अधिकारी	जैसा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।	जैसा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।	निविदा की दरें सामान्य अनुसूची या स्वीकृत अनुमान में दी गई दरों से अधिक न हों। दर में 5 प्रतिशत तक वृद्धि के मामले में उप–मण्डल अधिकारी दर स्वीकृत करेगा। यदि दर में अधिकता 5 से 10 प्रतिशत के बीच है, तो कार्यकारी अभियन्ता दर स्वीकृत करेगा।	जैसा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।	अनुमान तकनीकी रूप से स्वीकृत होना चाहिए
2.	₹20 लाख से अधिक और ₹25 लाख तक (₹50000/– तक मरम्मत कार्य के लिए)	उप–मण्डल अधिकारी	कार्यकारी अभियन्ता	जैसा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।	जैसा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।	निविदा की दरें सामान्य अनुसूची या स्वीकृत अनुमान में दी गई दरों से अधिक न हों दर में 5 प्रतिशत तक वृद्धि के मामले में उप–मण्डल अधिकारी दर स्वीकृत करेगा। यदि दर में अधिकता 5 से 10 प्रतिशत के बीच है, तो कार्यकारी अभियन्ता दर स्वीकृत करेगा।	जैसा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।	अनुमान तकनीकी रूप से स्वीकृत होना चाहिए
3.	₹25 लाख से अधिक और ₹50 लाख तक (₹100000/– तक मरम्मत कार्य के लिए)	कार्यकारी अभियन्ता	अधीक्षक अभियन्ता (पंचायती राज)	जैसा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।	जैसा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।	निविदा की दरें सामान्य अनुसूची या स्वीकृत अनुमान में दी गई दरों से अधिक न हों। दर में 5 प्रतिशत तक वृद्धि के मामले में अधीक्षण अभियन्ता दर स्वीकृत करेगा। दर 5 प्रतिशत से अधिक है, तो मुख्य अभियन्ता दर स्वीकृत करेगा।	जैसा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।	अनुमान तकनीकी रूप से स्वीकृत होना चाहिए
4.	₹50 लाख से अधिक	कार्यकारी अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता	जैसा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।	मुख्य अभियन्ता	निविदा की दरें सामान्य अनुसूची या स्वीकृत अनुमान में दी गई दरों से अधिक न हों। दर में 5 प्रतिशत तक वृद्धि के मामले में अधीक्षण अभियन्ता दर स्वीकृत करेगा। दर 5 प्रतिशत से अधिक है तो मुख्य अभियन्ता दर स्वीकृत करेगा।	जैसा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।	अनुमान तकनीकी रूप से स्वीकृत होना चाहिए"।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 26th September, 2017

No. S.O.-67/H.A. 11/1994/S. 209/2017.— The following draft of the rules further to amend the Haryana Panchayati Raj Finance, Budget, Accounts, Audit, Taxation and Works Rules, 1996, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 209 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994), is hereby published as required by sub-section (3) of the said section for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the following draft of the rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of seven days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Principal Secretary to Government, Haryana, Development and Panchayats Department, Chandigarh from any person in respect to the draft of the rules before the expiry of the period so specified.

Draft Rules

1. These rules may be called the Haryana Panchayati Raj Finance, Budget, Accounts, Audit, Taxation and Works (Amendment) Rules, 2017.

2. In the Haryana Panchayati Raj Finance, Budget Accounts, Audit, Taxation and Works Rules, 1996, (hereinafter called the said rules), for rule 13A, the following rule shall be substituted, namely:-

> **"Credit of grant-in-aid sections 40, 98 and 145.—** The funds released to a Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad under the Central Finance Commission, State Finance Commission, Surcharge on VAT or any other fund which the Government deems fit, shall constitute as grant-in-aid and shall be credited to the Gram Fund, Samiti Fund and Zila Parishad Fund, as the case may be.".

3. In the said rules, in rule 134, in sub rule (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a)The Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad, as the case may be, shall be competent to accord administrative approval of work(s) from Gram Fund, Samiti Fund, Zila Parishad Fund respectively, without any capping as per Schedule 'A'. The Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad may execute the work itself or get it done through a contractor or entrust the work to the Panchayati Raj Engineering Wing, subject to technical approval as per Schedule 'A'. All the accounts shall be maintained by the respective authorities as per departmental register in Form LVIII and tender register Form LIX and LX."

4. In the said rules, for existing Schedule A and B, the following Schedules shall be substituted respectively, namely:-

"SCHEDULE 'A'

[(see clause (a) of sub-rule (1) of rule 131, rule 132 and rule 134 (1) (a)]

Authorities Competent to give (a) Administrative Approval (b) Technical sanction							
Serial Number	Nature and Value of Work	Gram Panchayat Works		Panchayat Samiti Works		Zila Parishad Works	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Administrative approval by	Technical sanction by	Administrative approval by	Technical sanctioned by	Administrative Approved by	Technical sanction by
A.	**Original Works :-**						
1	Without any capping for administrative approval from their own fund as well as **grant-in-aid**	Gram Panchayat	1. Sub Divisional Officer upto ₹.10.00 lac 2. Executive Engineer above ₹..10.00 lac to ₹. 25.00 lac 3.Superintending Engineer above ₹.25 lac to ₹. 50 lac 4. Chief Engineer exceeding ₹. 50 lac	Panchayat Samiti	1. Sub-Divisional Officer upto ₹.10.00 lac 2.Executive Engineer above ₹..10.00 lac to ₹. 25.00 lac 3.Superintending Engineer above ₹.25 lac to ₹. 50 lac 4. Chief Engineer exceeding ₹. 50 lac	Zila Parishad	1. Sub-Divisional Officer upto ₹.10.00 lac 2.Executive Engineer above ₹.10.00 lac to ₹. 25.00 lac 3.Superintending Engineer above ₹.25 lac to ₹.50 lac 4. Chief Engineer exceeding ₹. 50 lac
B.	**Repairs and Maintenance:-**						
1	Without any capping for administrative approval from their own funds as well as **grant-in-aid**	Gram Panchayat	1. Sub Divisional Officer upto ₹.25000 2. Executive Engineer above ₹.25000 to ₹. 50000 3.Superintending Engineer above ₹.50000 to ₹. 1.00 lac 4. Chief Engineer exceeding ₹. 1.00 lac	Panchayat Samiti	1. Sub-Divisional Officer upto ₹.25000 2.Executive Engineer above ₹.25000 to ₹. 50000 3.Superintending Engineer above ₹.50000 to ₹. 1.00 lac 4. Chief Engineer exceeding ₹. 1.00 lac	Zila Parishad	1. Sub-Divisional Officer upto ₹.25000 2.Executive Engineer above ₹.25000 to ₹. 50000 3.Superintending Engineer above ₹.50000 to ₹. 1.00 lac 4. Chief Engineer exceeding ₹. 1.00 lac

SCHEDULE 'B'

CALLING AND ACCEPTANCE OF QUOTATIONS/TENDERS

[see clause (b) of sub-rule (1) of rule 134 and see sub-rule (1) of rule 135]

Serial Number	Costing of original works/ repair works	Authority to prepare NIQ/ NIT	Authority to approve NIQ/ NIT	Authority to call Tenders/ quotation	Authority to accept quotation/ tenders	Conditions of acceptance, if any	Authority to execute works orders/ agreement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Upto ₹. 20 lac (₹. 25,000 for repair works)	Junior Engineer	Sub Divisional Officer	As specified by the Government	As specified by the Government	Rates tendered do not exceed the rates in common schedule or in the sanctioned estimate. In case rates exceed upto 5% then Sub - Divisional Officer shall approve the rates. If the excess is between 5% to 10% Executive Engineer shall approve the rates	As specified by the Government	Estimate should be technically sanctioned
2	Above ₹. 20 lac to 25 lac (₹. 50,000 for repair works)	Sub Divisional Officer	Executive Engineer	As specified by the Government	As specified by the Government	Rates tendered do not exceed the rates in common schedule or in the sanctioned estimate In case rates exceed upto 5% then Sub-Divisional Office shall approve the rates. If the excess is between 5% to 10% Executive Engineer shall approve the rates	As specified by the Government	Estimate should be technically sanctioned

3	Above ₹.25 lac to 50 lac (₹. 1,00,000 for repair works)	Executive Engineer	Superin-tending Engineer (Panchayati Raj)	As specified by the Government	As specified by the Government	Rates tendered do not exceed the rates, in common schedule or in sanctioned estimate. In case rate exceed upto 5% then Superin-tending Engineer shall approve the rates. Beyond 5% Chief Engineer shall approve the rates.	As specified by the Government	Estimate should be technically sanctioned
4	Above ₹.50 lac	Executive Engineer	Chief Engineer	As specified by the Government	Chief Engineer	Rates tendered do not exceed the rates, in common schedule or in sanctioned estimate. In case rate exceed upto 5% then Superin-tending Engineer shall approve the rates. Beyond 5% Chief Engineer shall approve the rates.	As specified by the Government	Estimate should be technically sanctioned.”.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Development and Panchayats Department.

55643—L.R.—H.G.P., Chd.